# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

पटवार हल्का अलेई जरिये तहसीलदार बनाम कैलाश सिंह वगै0
प्रार्थना पत्र संख्या– 02/217/2024

24.09.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी तहसीलदार राजगढ द्वारा गैरसायलन के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.20, 35/0.19 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर में कृषि प्रयोजनार्थ स्थित है। उक्त वर्णित आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा कच्ची मिटटी खेत से उठाकर रास्ते के उद्वेश्य से मिटटी डालकर निर्माण कार्य कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि रूपान्तरण कर उपयोग किया जा रहा है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है। मौके पर अब यह भूमि पुनः कृषि करने योग्य नही रही है। अन्त में विवादित आराजी में कृषि भूमि से कच्ची मिटटी उठाकर रास्ते के उद्वेश्य से मिटटी डालकर निर्माण कार्य कर अकृषि व्यवसायिक रूपान्तरण नही करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 32/0.20, 35/0.19 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर में कृषि प्रयोजनार्थ राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक दर्ज है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी से मिटटी खेत से उठाकर रास्ते के उद्वेश्य से अकृषि व्यवसायिक रूपान्तरण नही करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है कि आराजी खसरा 32/0.20, 35/0.19 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर में आगामी आंदेशो तक ना ही प्रश्नगत भूमि का रहन/बेचान ना करें। एवं राजस्व रिकॉर्ड व *मौके की यथास्थिती बनाये रखें।* अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संवध में अप्रार्थीगण कोई आक्षेप हो तो दिनांक 16.10.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ

| तारीख हुक्म | न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | 16/10/24 .. अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 26/11/24 को पेश हो<br>S.D.O.<br><br>26/11/24 पत्रावली पेश। प्रतिवादी 2 लगायत 5 की ओर से वकालतनामा व जवाब पेश होवे वास्ते व तलबी प्रतिवादी 4 व वास्ते जवाब 1, 3 दिनांक 16/12/24 को पेश हो।<br>SDO<br><br>16/12/24 ...... ..... अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 18/12/24 को पेश हो<br>S.D.O.<br><br>18/12/24 पत्रावली पेश। मूलवाद न. 3/112/24 के साथ अप्रार्थी न. 4 श्री राम प्रसाद मृत होने से मूलवाद में संशोधित टाईटल पेश। वास्ते तलबी दि. 23/12/24 को पेश हो।<br>SDO<br><br>23/12/24 पत्रावली पेश। TDR उप.। अप्रार्थी संख्या 4/1 लगा. 4/7, 5 बाद सूचना तामील उप. नहीं आने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई वास्ते जवाब 1 लगा. 3 दि. 2/01/25 को पेश हो।<br>SDO<br><br>02/01/25 पत्रावली पेश। मूलवाद न. 3/112/24 बाद गौर खारीज होने पर प्रा. पत्र खारीज किया जाता है। साथ – न्यायालय के उक्त आदेश दि. 24/09/24 भी खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूलवाद संलग्न होकर जमा हो।<br>SDO |